फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल कंसारा पुत्र श्री उदयलाल नि. देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमंद (राजस्थान)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 28/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ. /2022/1263 दिनांक 28.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा आदेश सं. 724–25 दिनांक 21.08.89 से निजी वन विकास आवंटन हेतु श्री आजाद कुमार पुत्र श्री धर्मचंद्र महाजन निवासी देवगढ को शौपुरी के आ.नं. 163 मी. में आंवटित भूमि का रिकॉर्ड यथा, जमीन लेने का प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र पर आंवटित जमीन का नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान में निजीवन विकास आवंटन में आवंटित जमीन की वस्तु स्थिति जमीन निरस्त की गई आदि की चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कमांकः सू.अ./2022/429–31 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया जाकर प्रतिलिपि रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर एवं जिला कलक्टर महोदय को भी प्रेषित की गई थी। श्री गोपाल कंसारा को रेकार्ड रूम का अवलोकन करने हेतु लिखा गया क्योंकि कार्यालय का रिकॉर्ड रूम बहुत ही पुराना एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण बरसात में रिकॉर्ड रूम में रखी बहुत सी पत्रावलियॉ गलने एवं फट जाने के कारण और प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्रावली अधिक पुरानी होने से रिकॉर्ड में नहीं मिल पाई, इस कारण प्रार्थी को रिकॉर्ड का अवलोकन करने हेतु लिखा गया था, परंतु प्रार्थी आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 12.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कोर्ट नं. 04 में सुनवाई में जवाब पेश कर दिया गया था। जिस पर आयोग द्वारा प्रार्थी की अपील को कोर्ट नं. 03 में स्थानान्तरित कर दिनांक 19.01.2023 को प्रातः 11.00 बजे सुनवाई रखी गई है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा दिनांक 28.11.2022 को प्रस्तुत सूचना अनुसार प्रार्थी को रिकॉर्ड का अवलोकन करने हेतु लिखा गया था, परंतु प्रार्थी आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 12.09.2022 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग के	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कोर्ट नं. 04 में सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जवाब पेश कर दिया गया है। जिस पर आयोग द्वारा प्रार्थी की अपील को कोर्ट नं. 03 में स्थानान्तरित कर दिनांक 19.01.2023 को सुनवाई रखी गई है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी जाने एवं अपील कोर्ट नं. 03 में सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2023 को प्रातः 11.00 बजे निश्चित होने से राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के द्वितीय अपील के निर्णय के अध्ययधीन उक्त प्रकरण निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर